रजिस्ट्री सं. डी.—(डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 9, 1985 (कार्तिक 18, 1907)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 9, 1985 (KARTIKA 18, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	805
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1389
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	13
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1529
भाग II—खंड I—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	37429
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	793
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	53
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1977
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	183
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGES
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	805
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1389
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	13
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1529
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) on General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	37429
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	793
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	53
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	1977
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	183
PART V—Supplement showing statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folios Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

पैट्रोलियम मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्तूबर, 1985

आदेश

सं० ओ-12012/76-ओ०ओ०—पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 5 के उप-नियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून (जिसे इसके बाद आयोग कहा जायेगा) को बेसिन अपटतीय क्षेत्र में 498.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण के लिए जनवरी 1987 के प्रथम दिन से 20 वर्षों के लिए खनन पट्टे की स्वीकृति देती है जिसके विवरण इस आदेश से संलग्न अनुसूची (क) में दिए गए हैं :

2. खनन पट्टे की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(1) खनन पट्टा केवल पैट्रोलियम के सम्बन्ध में होगा।

(2) यदि अन्वेषण के दौरान पैट्रोलियम के अतिरिक्त कोई अन्य खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग सम्पूर्ण ब्यौरों सहित उसे केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लायेगा।

(3) (i) समस्त अपेक्षित तेल तथा केसिंग हैड कंडेंसेट पर 61 रुपए प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में रायल्टी की दरें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेंगी।

(iii) रायल्टी की अदायगी पैट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी।

(4) आयोग पट्टे के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 7 दिनों के अन्दर पिछले माह में प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्व और उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(5) आयोग पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 13 की अपेक्षाओं के अनुसार 20,000 रुपए की धन राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(6) आयोग केन्द्रीय सरकार के पास 20000/- रुपए तक की राशि प्रारम्भिक खर्चों को पूरा करने और 500/- रुपए तक की राशि पट्टे की स्वीकृति देने से पूर्व खनन पट्टी फीस के रूप में जमा करायेगा।

(7) आयोग केन्द्रीय सरकार को प्रति वर्ष निम्नलिखित दरों पर निर्धारित वार्षिक डैड किराया अदा करेगा :—

इससे सम्बन्धित एक भाग के लिए पहले 100 वर्ग किलोमीटर के लिए प्रति हैक्टर अथवा इसके किसी अंश के लिए 12.50 रुपए और प्रथम 100 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र से अधिक के लिए प्रति हैक्टर अथवा उस के किसी अंश के लिए 25/- रुपए बशर्ते कि पट्टेधारी केवल डैड किराया अथवा रायल्टी दोनों में जो राशि में अधिक हो परन्तु दोनों नहीं, अदा करे।

(8) आयोग केन्द्रीय सरकार को इस पट्टे के अधीन आयोजित परिचालनों के प्रयोजन के लिए वास्तविक रूप से भूमि के सतही क्षेत्र का उपयोग करने के लिए, ऐसी दरों पर सतही किराया अदा करेगा, जो भू राजस्व और भूमि पर मूल्यांकन योग्य और मूल्यांकित उपकरों से अधिक नहीं हो जैसा कि समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(9) आयोग केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई और 1 जनवरी को अर्ध वार्षिक रायल्टी की अदायगी करेगा।

(10) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर तत्काल से तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के दौरान पाये गये सभी खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में केन्द्रीय सरकार को सभी परिचालनों, वेधन और उत्पादन के सम्बन्ध में निश्चित रूप से सूचना देगा।

(11) आयोग समुद्र की तलहटी और/अथवा उसके धरातल पर आग लगने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने के लिए हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/अथवा सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई ताकि हानि के बारे में निर्धारित किया जाएगा।

(12) इस खनन पट्टे पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण एवं विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(13) आयोग आंकड़ों का संकलन भारत में करेगा।

(14) आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

(15) आयोग आंकड़ों का एक पूरा सेट चीफ हाइड्रोग्राफर, देहरादून को निशुल्क सप्लाई करेगा।

(16) विदेशी जलपोत/रिगों का वास्तविक रूप में काम में लाने से पहले विशेषज्ञ अधिकारियों के एक दल द्वारा मुख्य नौसेना बेस पर नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जाता है आयोग प्रत्येक जल पोत/रिग की किस्म, वजन, आकार आदि के सम्बन्ध में विवरणों की आठ प्रतियां नौसेना मुख्यालय को इनके बेस पर आने से छः सप्ताह पहले भेजेगा। ताकि विशेषज्ञों की समय पर प्रतिनियुक्ति हो सके।

(17) आयोग पैट्रोलियम खनन पट्टे की डीड को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति फार्म के रूप में कार्यान्वित करेगा।

(18) इस पट्टे के अधीन सरकार को देय किराया, रायल्टी, कर, फीस और अन्य धनराशि बकाया भूमि राजस्व के रूप में वसूल की जाएगी ।

अनुसूची "क"

498.75 वर्ग किलोमीटर के "जी० एच० आई० जे" प्वाइंटों द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र को खनन पट्टे के लिए विचार में लिया गया है।

निर्देशांक निम्न प्रकार हैं :

अक्षांश 19°00'' 00'' एन से 19°31'' 30°.6'' एन

देशांश 71°52'' 6'' ई से 72°15'' 00'' ई

दर की सूची :

भूमि के महत्वपूर्ण स्थानों से लगभग दूरियां :

बम्बई —101 किलोमीटर

बेसिन —88.5 किलोमीटर

मेहिम —85.5 किलोमीटर

तारापुर —90.5 किलोमीटर

अनुसूची—ख

अशोधित तेल, केसिंग कण्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस ।

क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर ।

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कण्डेन्सेट

प्राप्त किए गए कुल मी० टनों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन टन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गए घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतदद्वारा मैं, श्री————————————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं ।

हस्ताक्षर————————

आदेश

विषय:—आर-II संरचना में 40 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० ओ० पी०) को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० ओ-12012/36/84-ओ० एन० जी० डी०-4—पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तेल भवन (जो इसके बाद आयोग कहा जायेगा) को आर II संरचना में 40 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में पैट्रोलियम मिलने की सम्भावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 22-6-85 से 5 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देता है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :-

(क) अन्वेषण लाइसेंस पैट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी :

(i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कंडेन्सेट पर 61 रुपए प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पैट्रोलियम मन्त्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाते वाला पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000/- रुपए की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के सम्बन्ध में एक शुल्क के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसको संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी भाग जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी :

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए   4 रु०

2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए   20 रु०

3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए   100 रु०

4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए   200/- रुपए

5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 300 रुपए।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गए समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में लिखित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों अवधि तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा अथवा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(ट) पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ठ) आयोग द्वारा खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गए बाथी मीट्रिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने चाहिए।

(ड) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

(ढ) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किए जाते हैं।

(ण) इस क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एकत्र किये गए आंकड़ों की प्रतियां रक्षा मन्त्रालय/मुख्य हाइड्रोग्राफर को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं।

(त) अगर विदेशी जलपोत लगाये जाते हैं तो उनका नौसेना सुरक्षा निरीक्षण उनके लगाये जाने से पूर्व किया जाना होता है। भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिए जिससे निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति हो सके।

(थ) भावी संचालनात्मक योजना बनाने की सुविधा के लिए सर्वेक्षण प्रारम्भ करने/समाप्त करने की तिथि बतायी जाए।

अनुसूची "क"

आर-II संरचना क्षेत्र में 40 वर्ग किलोमीटर अपतटीय क्षेत्र में भूगोलिकी समन्वय सम्बन्धी विवरण

प्वाइंट	अक्षांश	रेखांश
क	18° 10″ 00″ एन	70° 11″ 00″ ई
ख	18° 10″ 00″ एन	72° 13″ 28″ ई
ग	18° 5″ 00″ एन	72° 13″ 28″ ई
घ	18° 5″ 00″ एन	72° 11″ 00″ ई

भारत के राष्ट्रपति के आदेश और उनके नाम पर।

पी० के० राजगोपालन
डेस्क अधिकारी

अनुसूची—ख

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस।

क्षेत्रफल वर्ग किलो मीटर।

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किए गए कुल मी० टनों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गए घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री————————————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर————————————

आदेश

विषय :—डी-17 संरचना में 24.78 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र के लिए श्रो० एन० जी० सी० (ओ० ओ० पी०) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० ओ०-12012/30/85-ओ० एन० जी० सी०-4—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून (जो इसके बाद आयोग कहा जायेगा) को डी-17 संरचना में 24.78 वर्ग किलो मीटर (अपतटीय) क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के लिए 1-5-85 से स्वीकृति देती है।

इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं। लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है:—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी:

(i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कंडेन्सेट पर 61 रुपये प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य

दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000/- रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा:

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी:

1	लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4 रु०
2	लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रु०
3	लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रु०
4	लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	200 रु०
5	लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए	300 रु०

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम II के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्ययन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ठ) आयोग द्वारा खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किये गये बाथीमीट्रिक समुद्री नमूने, धारा और सम्बन्धीय आंकड़े सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने चाहिए।

(ड) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

(ढ) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं।

(ण) इस क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ों की प्रतियां रक्षा मन्त्रालय/मुख्य हाइड्रोग्राफर को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं।

(त) अगर विदेशी जलपोत लगाये जाते हैं तो उनका नौसेना निरीक्षण उनके लगाये जाने से पूर्व किया जाना होता है। भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिए जिससे निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति हो सके।

(थ) भावी संचालनात्मक योजना बनाने की सुविधा के लिए सर्वेक्षण आरम्भ करने/समाप्त करने की तिथि बतायी जाए।

अनुसूची "क"

डी–17 संरचना में 24.78 वर्ग किलो मीटर (अपतटीय) क्षेत्र के भूगौलिक विवरण

प्वाइंट	रेखांश	अक्षांश
क	71° 11″ 12.34″	18° 39″ 55-95″
ख	71° 12″ 52.34″	18° 38″ 39-92″
ग	71° 10″ 25″	18° 35″ 37″
घ	71° 8″ 51.91″	18° 36″ 58-58″

अनुसूची ख

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस।

क्षेत्रफल वर्ग किलो मीटर

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किए गए कुल मी० टनों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खाये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गए घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री——————————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर——————

दिनांक 11 अक्तूबर 1985

आदेश

विषय :—डी–11 और डी–12 (डी० सी० एस० क्षेत्र में 712 वर्ग कि० मी० क्षेत्र के लिए ओ० एन० जी० सी० (डी० ओ० पी०) को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० ओ०-12012/27/83-प्रोडक्शन—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (जो इसके बाद आयोग कहा जायेगा) तेल भवन देहरादून को डी–11 और 12 (डी० ओ० एस० क्षेत्र) में 712 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु 1–9–1982 से एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति देती है, तथापि अगले वर्ष के लिए क्षेत्र 382.43 वर्ग किलो मीटर होगा। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है:—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी:

(i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कंडेन्सेट पर 61 रुपये प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम मन्त्रालय नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसकी कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000/- रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी:

1	लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4 रु०
2	लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रु०
3	लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रु०
4	लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	200 रु०
5	लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए	300 रु०

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के

संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गत रूप से देगा तथा हर छ महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ठ) आयोग द्वारा खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किये गये बाथीमेट्रिक सतही नमूने धारा और चुम्बकीय आंकड़े सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने चाहिये।

(ड) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग समुद्रीविज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

(ढ) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं।

(ण) इस क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ों की प्रतियां रक्षा मंत्रालय/मुख्य हाइड्रोग्राफर को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं।

(त) अगर विदेशी जलपोत लगाये जाते हैं तो उनका नौसेना सुरक्षा निरीक्षण उनके लगाये जाने से पूर्व किया जाता होता है। भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिए जिससे निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति हो सके।

(थ) भावी संचालनात्मक योजना बनाने की सुविधा के लिए सर्वेक्षण आरम्भ करने/समाप्त करने की तिथि बतायी जाए।

अनुसूची "क"

डी–11 और डी–12 संरचना के लिए पी० ई० एल० सम्बन्धी तकनीकी आंकड़े

(1) संरचना डी–11 और डी–12

(2) क्षेत्र 712 वर्ग किलोमीटर

(3) भौगोलिक विवरण।

प्वाइंट	रेखांश	अक्षांश
क	70° 35″ 33″ ई०	19° 28″ 22.8″ एन०
ख	70° 40″ 45″ ई०	19° 30″ 24″ एन०
ग	70° 39″ 24.37 ई०	19°. 0″ 48.60″ एन०
घ	70° 52″ 26.4 ई०	19° 05″ 28.30″ एन०

(4) भूमि के महत्वपूर्ण स्थानों से लगभग दूरी:
बम्बई . . . 225 किलोमीटर
धेनू . . . 230 किलोमीटर

(5) जल की लगभग गहराई 84 मीटर

अनुसूची "ख"

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उनके मूल्य सहित मासिक विवरण

के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेंस

क्षेत्रफल · वर्ग किलोमीटर

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलोलीटरों की संख्या	आकस्मिक रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किए गए कुल मी० टनों की संख्या	आकस्मिक रूप से खोए अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गए घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं श्री———————————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्णरूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर————————

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम पर

पी० के० राजगोपालन,

डैस्क अधिकारी

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून 1985

संकल्प

सं० ई०-11015 (5)/84-हिन्दी—इस विभाग के दिनांक 9 अप्रैल, 1981 के संकल्प संख्या ई०-11015(2)/80-हिन्दी द्वारा की गई हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल, जो 10 अप्रैल, 1984 को समाप्त हो गया था, एतद्द्वारा 31 दिसम्बर, 1984 तक बढ़ा दिया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रदेश के प्रशासकों, प्रधान मंत्री का कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसद कार्य विभाग, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के महालेखा-परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्रदीप बैजल

संयुक्त सचिव

अर्जुन कुमार अग्रवाल

संयुक्त सचिव

संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर 1985

सं० एफ० 7-6/84-सी० एच० 3—अधिसूचना सं० एफ० 7-6/84-सी० एच० 3 दिनांक 11 सितम्बर, 1984 के आंशिक संशोधन में आचार्य सेम्पा दोरजी, रीडर, केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी को शेष अवधि के लिए प्रो० एल० एम० जोशी के स्थान पर बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

बी० एन० शर्मा

सहायक शिक्षा सलाहकार

परिवहन मंत्रालय

रेल विभाग

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्तूबर 1985

संकल्प

सं० ई० आर० बी०-1/85/6/20—भारत सरकार ने विनिश्चय किया है कि निदेशक, रेलवे बोर्ड (वेतनमान 2500-2750 रु०) और अपर निदेशक, रेलवे बोर्ड (वेतनमान 2250-2500/2000-2250 रु० के मौजूदा पदों को क्रमशः "कार्यकारी निदेशक" तथा "अपर कार्यकारी निदेशक" रेलवे बोर्ड के रूप में पुनः पदनामित किया जाये।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सभी के सूचनार्थ संकल्प भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

ए० एन० वांचू

सचिव

रेलवे बोर्ड एवं

भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर 1985

संकल्प

सं० 6/1/79-पी० पी०—राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के गठन से संबंधित तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय के 10 मार्च, 1983 का संकल्प सं० 6/1/79-पी० पी० (जो भारत के राजपत्र, भाग-I, खण्ड-1 में 26 मार्च, 1983 को प्रकाशित किया गया था) का संशोधित रूप अब निम्नवत् होगा:—

(1) संकल्प के पैरा 3 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का स्वरूप निम्नवत् होगा:—

1. प्रधान मंत्री,
   अध्यक्ष
2. केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री,
   उपाध्यक्ष
3. केन्द्रीय वित्त मंत्री,
   सदस्य

4. केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री,
सदस्य

5. केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री,
सदस्य

6. केन्द्रीय परिवहन मंत्री,
सदस्य

7. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री,
सदस्य

8. केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री,
सदस्य

9. योजना राज्य मंत्री,
सदस्य

10. मुख्य मंत्री, आन्ध्र प्रदेश,
सदस्य

11. मुख्य मंत्री, असम,
सदस्य

12. मुख्य मंत्री, बिहार,
सदस्य

13. मुख्य मंत्री, गुजरात,
सदस्य

14. मुख्य मंत्री, हरियाणा,
सदस्य

15. मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश,
सदस्य

16. मुख्य मंत्री, कर्नाटक
सदस्य

17. मुख्य मंत्री, जम्मू व कश्मीर,
सदस्य

18. मुख्य मंत्री, केरल,
सदस्य

19. मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश,
सदस्य

20. मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र,
सदस्य

21. मुख्य मंत्री, मणिपुर,
सदस्य

22. मुख्य मंत्री, मेघालय,
सदस्य

23. मुख्य मंत्री, नागालैंड,
सदस्य

24. मुख्य मंत्री, उड़ीसा,
सदस्य

25. मुख्य मंत्री, पंजाब,
सदस्य

26. मुख्य मंत्री, राजस्थान,
सदस्य

27. मुख्य मंत्री, तमिलनाडु,
सदस्य

28. मुख्य मंत्री, सिक्किम,
सदस्य

29. मुख्य मंत्री, त्रिपुरा,
सदस्य

30. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश,
सदस्य

31. मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल,
सदस्य

32. मुख्य आयुक्त, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह,
सदस्य

33. मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश,
सदस्य

34. मुख्य आयुक्त, चण्डीगढ़,
सदस्य

35. प्रशासक, दादरा व नागर हवेली,
सदस्य

36. उप राज्यपाल, दिल्ली,
सदस्य

37. मुख्य मंत्री, गोवा, दमन व दीव,
सदस्य

38. प्रशासक, लक्षद्वीप,
सदस्य

39. मुख्य मंत्री, मिजोरम,
सदस्य

40. मुख्य मंत्री, पाण्डिचेरी,
सदस्य

जल संसाधन मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

(2) संकल्प का पैरा 7 भी निम्नवत् संशोधित माना जाएगा :—
"7." जल संसाधन मंत्रालय यथा अपेक्षित प्रशासनिक या अन्य सहायता प्रदान करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रपति के निजी तथा सैन्य सचिवों, प्रधान मंत्री का कार्यालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, योजना आयोग, केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित करा दिया जाए और संबंधित राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया जाए कि वे इस संकल्प को अपने-अपने राजपत्रों में सूचनार्थ प्रकाशित करा दें।

रामस्वामी आर० अय्यर
सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्तूबर 1985

संकल्प

सं० ई०-11016/3/85-रा० भा० नी०—श्रम मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प दिनांक 3 जुलाई, 1985 तथा 19 अगस्त, 1985 के क्रम में, भारत सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को श्रम मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य नामित करने का निर्णय किया है :—

1. श्री बालकवि बैरागी, संसद सदस्य (लोक सभा), 102, एक्सटर्नल ऐफेयर्स होस्टल, नई दिल्ली। — संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि

2. श्री विट्ठल भाई एम० पटेल, संसद सदस्य (राज्य सभा), 191, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि
3. प्रोफेसर पठाण, जंगमवाडी, जिला नानदेड, महाराष्ट्र	राजभाषा विभाग द्वारा नामित
4. श्री सी० आर० चन्द्रशेखरन, प्रधान मंत्री, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, त्यागराज नगर, मद्रास	—तदैव—
5. प्रोफेसर पी० एन० पुष्प, 33, गोगी बाग, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर।	—तदैव—
6. प्रो० जी० एस० धारा सिंह, प्रधान, केरल हिन्दी साहित्य मंडल, मकान नं० VIII/2079, पैलेस रोड, कोचीन–682002 (केरल)	—तदैव—

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों एवं श्रम मंत्रालय के सभी कार्यालयों, जिनमें स्वायत्त तथा अर्ध-स्वायत्त निकाय भी शामिल हैं, को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

करनैल सिंह,
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्तूबर 1985

सं० क्यू०-16011/7/85-डब्ल्यू० ई०—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 8 के अनुसरण में, भारत सरकार श्री जी० संजीवा रेड्डी, उपाध्यक्ष, इंटक, 6/बी, एल० टी० जी० एच०, बरकतपुर, हैदराबाद के स्थान पर 16 सितम्बर, 1985 से श्री एन० एम० आडन्यया, विधान सभा सदस्य और अध्यक्ष, इंटक, कर्नाटक शाखा, पिंटोस लान्डे, मंगलौर को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शासी निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

दिनांक 18 अक्तूबर 1985

सं० क्यू०–16011/2/84–डब्ल्यू० ई०—श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क्यू०–16011/2/84–डब्ल्यू० ई० दिनांक 12 फरवरी, 1985 में राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के महानिदेशक और कार्यकारी उपाध्यक्ष डा० बी० वेंकटेशन, भा० प्र० से० का नाम अधिसूचना जारी होने की तारीख से केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोजित सदस्य के रूप में काम करने के लिए आम जनता की जानकारी हेतु अधिसूचित किया गया था।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 4 (iii) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी कार्यालय का पद धारण करने के फलस्वरूप बोर्ड का सदस्य है, तो उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जायेगी जब वह उस कार्यालय के पद को छोड़ देगा और इस तरह रिक्त हुए पद को उस कार्यालय में उसके उत्तरावर्ती पद धारी द्वारा भरा जाएगा।

अब श्री राय सिंह, भा० प्र० सेवा को राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के महानिदेशक और कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसलिए आम जनता की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से डा० बी० वेंकटेशन, भा० प्र० से० के स्थान पर श्री राय सिंह, भा० प्र० से० राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् का प्रतिनिधित्व करते हुए बोर्ड में काम करेंगे।

मिला चोपड़ा
निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 10th October 1985

ORDER

No. O-12012/12/76-Prod.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Mining lease to mine Petroleum for 20 years with effect from the 1st day of January, 1987 in Bassein offshore area measuring 498.75 sq. kms more particularly described in Schedule 'A' attached to this Order.

2. The grant of this Mining Lease is subject to the following terms and conditions :—

(1) The Mining Lease would be only in respect of Petroleum;

(2) If any minerals other than petroleum are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(3) (i) Royalty at the rate of Rs. 61/- Per metric tonne or such other rate as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate shall be paid by the Commission.

(ii) In the case of natural gas, the rates of royalty shall be as fixed by Central Government from time to time.

(iii) The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum, New Delhi.

(4) The Commission shall, within the first seven days of every month, furnish to the Central Government a full and proper return showing he quantity and gross value of all crude oil casing head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the lease, in the Form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(5) The Commission shall deposit a sum of Rs. 20,000/- as security as required by rule 13 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(6) The Commission shall also deposit with the Central Government (i) for meeting the preliminary expenses such sum, not exceeding Rs. 2000/- and (ii) Rs. 5000/- as Mining lease fee prior to the grant of lease.

(7) The Commission shall pay to the Central Government for every year a fixed yearly dead rent at the following rates :—

Rs. 12.50 per hectare or part thereof for the first 100 square kilometres and Rs. 25/- per

hectare or part thereof for area exceeding the first 100 square kilometres provided that the leasee shall be liable to pay only the dead rent or the royalty, whichever is higher in amount but not both.

(8) The Commission shall pay to the Central Government for the surface area of the land actually used by it for the purpose of the operations conducted under this lease, surface rent at such rate, not exceeding the land revenue and cesses assessed or assessable on land, as may be specified by the Central Gvernment from time to time.

(9) The Commission shall pay to the Central Government royalty, halfyearly as on 1st July and 1st January each year.

(10) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government, a full confidential report of the geological data of all the minerals found during the exploration/production of oil and natural gas and shall submit, every six months, the results of all operations, boring and production without fail.

(11) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under water and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies, and means ready at all time, to extinguish the fire and shall pay such compendation to to the third party and/or Government as may be determined in case of damages due to fire.

(12) This Mining lease shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(13) The Commission shall process the data in India;

(14) The Commission shall ensure security of oceanographic data;

(15) The Commission shall supply a complete set of processed data to chief Hydrographer, Dehradun free of cost.

(16) The Commission shall ensure that the foreign vessels/rigs are deployed to undergo naval security inspection at a major naval base, as specified by the Central Government for that purpose, by a term of specialist officers, prior to actual deployment. The Commission shall forward eight copies of details regarding the type, weight, size etc. of each vessel/rig to the Naval Head Quarters at least six weeks before their arrival at the base to facilitate deputation of team of specialists in time.

(17) The Commission shall execute a Deed of the Petroleum Mining Lease in the form approval by the Central Government.

(18) An rent, royalty, tax, fee or other sum due to the Government under this Lease shall be recoverable from the Commission as arrears of land revenue.

SCHEDULE 'A'

The area denoted by points "GHIJ" measuring 498.75 square kilometres is proposed for Mining Lease.

The Coordinates are given below :

Latitude	19°	00′	00″ N	to	19°	31′	30·6″	N
Longitude	71°	52′	6″ E	to	72°	15′	00″	E

Schedule of distance :

Approximate distances from the prominent places on lands :

Bombay - 101 kms.

Bassein - 88·5 kms.

Mahim - 85·5 kms.

Tarapur - 90·5 kms.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and valu thereof.

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained.	No. of Metric Tonnes unavoidably last or returned to natural reservoir.	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government.	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3.	Remarks
1	2	3	4	5

B-Casing Head Condensate

Total number of Metric Tonnes obtained.	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservior.	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3.	Remarks
1	2	3	4	5
A				
B				
C				

C-Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unaboidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes or petroleum exploration approved by the Central Government.	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri ——————————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

Signature

ORDER

SUBJECT : *Grant of Petroleum Exploration Licence for R-11 Structure measuring* 40 *sq. kms. to ONGC (BOP).*

No. O-12012/36/84-ONGD 4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (i) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission Tel Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from 22-6-85 for R. 11 structure area measuring 40 Sq. kms. (offshore) the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 61/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, to such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the proceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square Kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all time and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render. Bathymetric, bottom samples, Current and magnatic data collected during

the drilling/exploration operations/survey to Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual manner.

(m) ONGC ensure security of Oceanographic data.

(n) The entire data is processed in India.

(o) Copies of the data collected by ONGC in this area is made available *free of cost to* Ministry of Defence/Chief Hydro.

(p) Foreign Vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspections by a team of Indian Navy Specialists officers prior to deployment. Adequate notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(q) The date of commencement/cessation of survey be intimated to facilitate future operational planning.

Schedule 'A'

Details regarding Geographical coordinates of R-11 structure area measuring 40 sq. kms. offshore

Point	Latitude				Longitude			
1	2				3			
A	18°	10′	00″		72°	11′	00″	E
B	18°	10′	00″	N	72°	13′	23″	E
C	18°	5′	00″	N	72°	13′	23″	E
D	18°	5′	00″	N	72°	11′	00″	E

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for
Area
Month and year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government.	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B-Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

C-Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government.	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	

I, Shri——————————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

By order in the name of the President of India.

————————
Signature

ORDER

SUBJECT : *Grant of Petroleum Exploration Licence for D-17 Structure measuring 24.78 sq. kms. to ONGC (BOP).*

No. O-12012/30/85-ONGD 4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (i) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission Tel Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from 1-5-85 for D-17 structure area measuring 24.78 sq. kms (offshore) the particulars of which are given in schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 61/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, to such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall within the first 30 days of every month furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil casing head condensate and natural gas obtained during the proceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs 6000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square Kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 1000/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnatic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual manner.

(m) ONGC ensure security of Oceanographic data.

(n) The entire data is processed in India.

(o) Copies of the data collected by ONGC in this area is made available *free of cost* to Ministry of Defence, Chief Hydro.

(p) Foreign Vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspections by a team of Indian Navy Specialists officers prior to deployment. Adequate notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(q) The date of commencement/cessation of survey be intimated to facilitate future operational planning.

SCHEDULE 'A'.

Technical data for PEL-D-11 and D-12

(1) Sructure D-11 and D-12

(2) Area 712 sq. kms.

(3) Geographical coordinates.

Point	Longitude	Latitude
1	2	3
A	70° 35′ 33″ E	19° 28′ 22·8″ N
B	70° 40′ 45″ E	19° 30′ 24″ N
C	70° 39′ 24·37″ E	19° 0′ 48·60″ N
D	70° 52′ 26·4″ E	19° 05′ 28·30″ N

(4) Approximate distance from the prominent places of land.

Bombay 225 kms.

Dehanu 230 Kms.

(5) Approximate depth of water 84 Mts.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B. Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C. Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri——————————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

———————————

(Signature)

By order in the name of the President of India.

P. K. RAJAGOPALAN
Desk Officer

The 11th October 1985

ORDER

SUBJECT : *Grant of Petroleum Exploration Licence for D-11 and D-12.(DCS area) measuring 712 sq. kms. to ONGC (BOP).*

No. O-12012/27/83-Prod.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (i) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission Tel Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to Prospect for Petroleum for four years from 1-9-1982 for D-11 and D-12 (DCS area) measuring 712 sq. kms. (offshore), However, for the fourth year, the area will be only 382.43 sq. kms. the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 61/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the proceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square Kilometer of part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) 300/- for the first and second year of renewal;

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two months notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of tht Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediattly on demand submit to Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boarnig and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment. supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnatic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual manner.

(m) ONGC ensure security of Occanographic data.

(n) The entire data is processed in India.

(o) Copies of the data collected by ONGC in this area is made available free of cost to Ministry of Defence Chief Hydro.

(p) Foreign Vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspections by a team of Indian Navy Specialists officers prior to deployment. Adequate notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(q) The date of commencement/cessation of survey be intimated to facilate future operational planning.

SCHEDULE 'A'

Geographical coordinates of D-17 Structure area measuring 24·78 sq. kms. (offshore)

Point	Longitude			Latitude		
A	71°	11′	12·34″	18°	39′	55·95″
B	71°	12′	52·34″	18°	38′	38·92″
C	71°	10′	25″	18°	35′	37″
D	71°	8′	51"·91″	18°	36′	58·58″

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for Area

Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably last or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government.	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B-Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

C-Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number cubic metres unavoidably lost of returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for pump cases of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri————————————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemd declaration conscientiously believing the same to be true.

(Signature)

By order in the name of the President of India.

P. K. RAJAGOPALAN
Desk Officer

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(DEPARTMENT OF STEEL)

New Delhi, the 15th June 1985

RESOLUTION

No. E.11015(5)/84.Hindi(.).—The tennure of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Steel and Mines set up vide this Department Resolution No. E.11015(2)/80-Hindi dated 9th April, 1981, which expired on 10th April, 1984, is here by extended upto 31st December, 1984.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Planning Commission, Presidents Secretariat, Comptroller and Auditor General of India Accountant General, Central Recenues and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of india for general information.

A. K. AGARWAL
Jt. Secy.

DEPARTMENT OF CULTURE

New Delhi the 5th September 1985

No. F. 7-6/84-CH.3.—In partial modification of notification number F.7-../84.CH.3 dated 11th September, 1984, Acharya Sempa Dorjee, Reader in the Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi has been nominated as a member of the Board for the residual period in place of Prof. L. M. Joshi.

B. N. SHARMA
Asstt. Educational Adviser

MINISTRY OF TRANSPORT

DEPARTMENT OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RESOLUTION

New Delhi, the 8th October 1985

No. ERB-I/85/6/20.—The Government of India have decided that the existing posts of Director (scale Rs. 2500—2750) and 'Additional Director', Railway Board (scale Rs. 2250-2500/2000-2250) should be redesignated as 'Executive Director', and Additional Executive Director, Railway Board, respectively.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. N. WANCHOO
Secy. Railway Board &
Ex-officio Jt. Secy.
to the Government of India

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 14th October 1985

RESOLUTION

No. 6/1/79-PP.—The erstwhile Ministry of Irrigation's Resolution No. 6/1/79-PP dated 10th March 1983, setting up the National Water Resources Council (Published in the Gazette of India, Para I Section-1 dated 26th March 1983) stands amended as below :—

(1) In para 3 of the Resolution, the composition of the National Water Resources Council will be as follows :

(1) Prime Minister—
Chairman.

(2) Union Minister of Water Resources—
Vice Chairman.

(3) Union Minister of Finance—
Member.

(4) Union Minister of Agriculture and Rural Development—Member.

(5) Union Minister of Energy—Member.

(6) Union Minister of Transport—Member.

(7) Union Minister of Urban Development—Member.

(8) Union Minister of State for Science and Technology—Member.

(9) Union Minister of State for Planning—Member.

(10) Chief Minister, Andhra Pradesh—Member.

(11) Chief Minister, Assam—Member.

(12) Chief Minister, Bihar—Member.

(13) Chief Minister, Gujarat—Member.

(14) Chief Minister, Haryana—Member.

(15) Chief Minister, Himachal Pradesh—Member.

(16) Chief Minister, Karnataka—Member.

(17) Chief Minister, Jammu & Kashmir—Member.

(18) Chief Minister, Kerala—Member.

(19) Chief Minister, Madhya Pradesh—Member.

(20) Chief Minister, Maharashtra—Member.

(21) Chief Minister, Manipur—Member.

(22) Chief Minister, Meghalaya—Member.

(23) Chief Minister, Nagaland—Member.

(24) Chief Minister, Orissa—Member.

(25) Chief Minister, Punjab—Member.

(26) Chief Minister, Rajasthan—Member.

(27) Chief Minister, Tamil Nadu—Member.

(28) Chief Minister, Sikkim—Member.

(29) Chief Minister, Tripura—Member.

(30) Chief Minister, Uttar Pradesh—Member.

(31) Chief Minister, West Bengal—Member.

(32) Chief Commissioner, Andaman & Nicobar Islands—Member.

(33) Chief Minister, Arunachal Pradesh—Member.

(34) Chief Commissioner, Chandigarh—Member.

(35) Administrator, Dadra & Nagar Haveli—Member.

(36) Lieutenant Governor, Delhi—Member.

(37) Chief Minister, Goa, Daman & Diu—Member.

(38) Administrator, Lakshadweep—Member.

(39) Chief Minister, Mizoram—Member.

(40) Chief Minister, Pondicherry—Member.

Secretary, Ministry of Water Resources will be the Secretary of the National Water Resources Council".

(2) Para 7 of the Resolution also stands amended as under :—

"7. The Ministry of Water Resources shall furnish such administrative or other assistance as may be required".

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all the State Governments and the Union Territories, the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Office, the Comptroller and Auditor General of India, the Planning Commission and all Ministries/Departments of the Central Government for information.

ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of India and the concerned State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for general infromation.

RAMASWAMY R. IYER, Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 18th October 1985

RESOLUTION

No. E-11016/3/85-Rajbhasha Niti—In continuation of Ministry of Labour's Resolutions of even number dated the 3rd July, 1985 and 19th August, 1985, the Government of India have decided to nominate the following persons as members of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Labour :—

1. Shri Balkavi Bairagi, Member of Parliament (Lok Sabha), 102, External Affairs Hostel, New Delhi. 2. Shri Vithalbhai M. Patel, Member of Parliament, (Rajya Sabha), 191, South Avenue, New Delhi.	Representatives from the Committee of Parliament on Official Language.
3. Prof. Pathan, Jangamwadi, Distt. Nanded (Maharashtra) 4. Shri V.R. Chandrashekharan, General Secretary, Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, Tyagraj, Madras. 5. Prof. P.N. Pushp, 33, Gogi Bagh, Srinagar (Jammu & Kashmir).	Nominated by the Department of official Language.

6. Chaudhari G.S. Dhara Singh, President, Kerala Hindi Sahitya Mandal, House No. VIII/2079, Palace Road, Cochin-682002 (Kerala)

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India and all Offices of the Ministry of Labour including Autonomous and Semi-Autonomous Bodies.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

KARNAIL SINGH, Jt. Secy.,

New Delhi, the 11th October 1985

No. Q-16011/7/885-WE.—In pursuance of Rule-8 of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education, the Government of India hereby nominate Shri N. M. Adyanthaya, M.L.A. and President of INTUC, Karnataka Branch, Pintos Lande, Mangalore as a member of the Governing Body of the Central Board for Workers Education vice Shri G. Sanjeeva Reddy, Vice-President, INTUC, 6/B. L.T.G.H. Barkatpura, Hyderabad, with effect from 16th September, 1985.

The 18th October 1985

No. Q-16011/2/84-WE.—Whereas in the Ministry of Labour Notification No. Q-16011/2/84-WE dated the 12th February, 1985, the name of Dr. V. Venkatesan, IAS, Director General and Executive Vice-Chairman of the National Council for Cooperative Training, New Delhi was notified for information of the public, to serve on the Central Board for Workers Education as co-opted member with effect from the date of issue of the Notification.

Whereas in accordance with the Rule 4.(iii) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education, where a person is a member of the Board by virtue of any office held by him, his membership shall terminate when he ceases to hold that office, and the vacancy so caused shall be filled by his successor to that office.

Whereas now Shri Rai Singh, IAS, has been appointed as the Direcor-General and Executive Vice-Chairman of the National Council for Cooperative Training, New Delhi, it is notified, for information of the public, that Shri Rai Singh, IAS, shall serve on the Board representing the National Council for Cooperative Training Vice—Dr. V. Venkatesan, IAS with effect from the date of issue of this Notification.

CHITRA CHOPRA, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985